संख्या- 33 /2025/166/चार-2025-1889849

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2025**

विषयः- सनातन गर्व-महाकुम्भ पर्व के अवसर पर महाकुम्भ, प्रयागराज-2025 के अन्तर्गत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु कलाकारों के मानदेय, मार्ग व्यय तथा लघु मंचों के निर्माण व उनके 45 दिवस तक संचालन पर होने वाले व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4910/सं0नि0-15(42)/2024-25, दिनांक 12 जनवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु कलाकारों के मानदेय, मार्ग व्यय तथा लघु मंचों के निर्माण व उनके 45 दिवस तक संचालन पर होने वाले व्यय रूपये 962.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के अवसर पर निम्नलिखित विवरणानुसार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों हेतु कलाकारों के मानदेय, मार्ग व्यय तथा लघु मंचों के निर्माण व उनके 45 दिवस तक संचालन पर होने वाले व्यय रूपये 957.90 लाख (रूपये नौ करोड सत्तावन लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	मद का नाम	विवरण	धनराशि (लाख रूपये में)
1.	कलाकारों के मानदेय पर व्यय	680X60,000 (20 मंचों पर प्रतिदिन 02 कलाकार दल=40 कलाकार प्रतिदिन, 01 कलाकार को 02 दिवस कार्यक्रम, 45 दिवसों हेतु, स्नान दिवसों को छोडकर)	408.00
2.	कार्यक्रम स्थल पर विविध प्रस्तुति पर व्यय	20X700 X35 (मचों की संख्या X दर X दिवस)	4.90
3.	प्रयागराज से बाहर के कलाकारों का मार्ग व्यय	450X10,000 (कलाकार दलों की संख्या X औसत किराया)	45.00
4	लघु मंचों के निर्माण व उनके 45 दिवसों तक संचालन पर व्यय	ई-निविदा संख्या-2024_DOCUL_987087_1 के अनुसार (As per Tender Cost)	500.00
		कुल योग-	**957.90**

3. प्रतिबन्ध/ शर्तें:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की द्विरावृत्ति न होने पाए।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। (5) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविक बिल/बाउचर्स के आधार पर सुनिश्चित की जायेगी। -

(8) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।

(10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 33 /2025/166(1)/चार-2025-1889849 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in